



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 375]

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 19, 2013/माघ 30, 1934

No. 375]

NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 19, 2013/MAGHA 30, 1934

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
(आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी,
सिद्ध एवं होम्योपैथी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 फरवरी, 2013

का.आ. 406 (अ).—केन्द्रीय सरकार, होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1973 (1973 का 59) की प्रथम अनुसूची के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद् में प्रत्येक राज्य से स्थानों की संख्या का निम्नानुसार अवधारण करती है, अर्थात् :—

क्रम संख्या	राज्य का नाम	स्थानों की संख्या
(1)	(2)	(3)
"1.	दिल्ली	1
2.	तमिलनाडु	2"

[फा. सं. जेड. 28016/06/2010-एचपीसी]

राज प्रताप सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Ayurveda, Yoga and Naturopathy,
Unani, Siddha and Homoeopathy)

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th February, 2013

S.O. 406(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Homoeopathy Central Council Act, 1973 (59 of 1973) read with the First Schedule to the said Act, the Central Government hereby determines the number of seats from each State in the Central Council of Homoeopathy as follows, namely :—

Sl. No.	Name of the State	Number of seat
(1)	(2)	(3)
"1.	Delhi	1
2.	Tamil Nadu	2"

[F. No. Z-28016/06/2010-HPC]

RAJ PRATAP SINGH, Jt. Secy.